CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.

1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010

फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref No.- CEG/P/09/XI/571/2023
Date- 31.3.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

विषयः– प्रदेश सरकार की शासकीय सेवायें आम–जनमानस को सरलता एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराये जाने हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1313/78–2–2022–ई–268634, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 ***(छायाप्रति संलग्न)*** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आम जनमानस के उपयोगार्थ शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में 'ईज ऑफ लिविग' को बढावा देने हेतु 'ई– डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरूप सुविधा सेवाएं ससमय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया हैं। इस हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय–समय पर दिये गयें निर्देशों के अनुरूप सभी नागरिक संबधी सेवाओं प्रमाण पत्र इत्यादि को ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर फॉर ई–गवर्नेन्स (सी.ई.जी.), जोकि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीनस्थ एक सोसाइटी है, द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विन्डों पोर्टल ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) विकसित किया गया है। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को BRAP 2022 में प्रदेश का सिंगल विंडो पोर्टल निर्धारित किया गया है।

3– वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सीएससी 3.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में स्थापित 2.02 लाख से अधिक जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 43 विभागों की 280 शासकीय सेवायें आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही ई–डिस्ट्रिक्ट सिटिजन पोर्टल के माध्यम से सेवायें सीधे इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल का उपयोग करते हुये आम जनमानस को उपलब्ध हैं।

4– आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या–19/2020/1085–78–2–2020–34आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 ***(छायाप्रति संलग्न)*** एवं शासनादेश संख्या–20/2020/1101/78–2–2020–आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2022 ***(छायाप्रति संलग्न)*** में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सी.एस.सी. 3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के लिये कुल रू0 30.00 यूजर चार्जेज के रूप में लिये जाने की व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् निर्धारित है :–

क्र0 सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी./वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
1.	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

5— इस सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश दिनांक 03.12.2020 के अनुसार आम जनमानस द्वारा पेमेंट गेट—वे का उपयोग करते हुये बिना जन सेवा केन्द्र जाये सीधे ई—डिस्ट्रिक्ट सिटिजन पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) का उपयोग करने की दशा में प्रत्येक शासकीय सेवा के लिये रू0 15.00 यूजर चार्जेज के रूप में निर्धारित किया गया है। साथ ही सीधे ऑनलाईन आवेदन करने पर लिये जाने वाले यूजर चार्ज में डी.एस.पी./वी.एल.ई. का अंश शून्य करते हुये अन्य स्टेक होल्डर्स के अंश की धनराशि का विभाजन उपरोक्त तालिका के क्रम में निम्नवत् निर्धारित किया गया है :—

क्र0 सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी. /वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
1.	समस्त जी2सी सेवायें	0	03	10	02	15

6— डिजिटल इण्डिया अभियान को प्रदेश में बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों की सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को डिजिटल सर्विसेज़ के रूप में एक ही पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को प्रदान करने के उद्देश्य से इन सेवाओं का इन्टीग्रेशन ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। शासनादेश दिनांक 17.10.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इन्टरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये विभाग की सिटिजन सेन्ट्रिक सेवाओं का इंटीग्रेशन ई—डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं सिटिजन पोर्टल से कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.ई.जी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.ओ.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
3. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.ई.जी.

महत्वपूर्ण

संख्या- 1313/78-2-2022- ई-268634

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
खाद्य एवं रसद, नगर विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन, परिवहन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर,2022

विषय:आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में आम जनमानस को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए सुझाए गये विभिन्न सुधारों हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के अन्तर्गत 'ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम, समयबद्ध एवं मानदण्डों के अनुरूप पंजीयन तथा स्वीकृतियों /सुविधा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी नागरिक सेवाओं के पंजीयन, स्वीकृतियों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को ऑनलाइन प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सीईजी) के माध्यम से एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विन्डो पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) विकसित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को बी.आर.ए.पी. 2022 में प्रदेश का सिंगल विंडो पोर्टल निर्धारित किया गया है।

2. वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की कतिपय सेवायें जन सेवा केन्द्रों एवं सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं। सीएससी 3.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में 1.85 लाख से अधिक जन

सेवा केन्द्र स्थापित करते हुये इनके माध्यम से भी ये सेवायें आमजनमानस को सुगमता एवं सरलता से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3. भारत सरकार द्वारा बी.आर.ए.पी. 2022 फेज-1 अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का चयन किया गया है, जिनको प्रदेश के सिंगल विन्डो पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आमजनमानस को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाना है:

क्रमांक	सेवा का विवरण	क्रमांक	सेवा का विवरण
1	नया राशन कार्ड	8	मृत्यु प्रमाण पत्र
2	नया ड्राइविंग लाइसेंस	9	जन्म प्रमाण पत्र
3	विवाह पंजीकरण	10	एल0पी0जी0 कनेक्शन
4	भार मुक्त प्रमाण पत्र	11	पीएमजेएवाई/स्टेट हेल्थ कार्ड
5	सेवायोजन हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण	12	आय प्रमाण पत्र
6	झटपट पोर्टल(नागरिकों हेतु नए विद्युत कनेक्शन)	13	जाति प्रमाण पत्र
7	पेयजल कनेक्शन	14	निवास प्रमाण पत्र

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश सरकार की जो भी सेवायें ऑनलाईन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुये आम जनमानस को सीधे इंटरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. आम जनमानस द्वारा जन सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश विभाजन की व्यवस्था आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-19/2020/1085-78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2020 अनुसार रहेगी।

5. सेवा प्रदाता विभाग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा दी गयी गाईडलाईन्स के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेंगे।

6. सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in पर आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कोर सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1278-78-2-2014-53 आई0टी0/2008 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2- 2020-आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2020 के अनुसार होगी।

6.2 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.2.1 सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु https://edistrict.up.gov.in पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से निर्धारित व्यवस्थानुसार अपना पंजीयन करेंगे।

6.2.2 पंजीकरण के उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरा जायेगा, जिसके उपरान्त ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान किया जाना होगा।

6.2.3 आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान के उपरान्त सेवा सम्वन्धी जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा विकसित पोर्टल, जो कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, पर भरी जायेगी।

6.2.4 सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी जानकारियां आवेदक द्वारा पुन: नहीं भरायी जायें।

6.2.5 तदोपरान्त आवेदक द्वारा विभागीय ई-फार्म पर इंट्री की जायेगी।

6.2.6 आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चत करेंगे कि मांगे गये समस्त अभिलेख उसके पास हो।

6.2.7 तत्पश्चात आवेदक आवश्यक अभिलेख को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।

6.2.8 ऑनलाइन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.9 तत्पश्चात यदि विभाग द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित है, तो उस दशा में आवेदक को विभागीय पेमेंट गेट-वे का उपयोग करते हुये अतिरिक्त निर्धारित शुल्क देना होगा।

6.2.10 पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.11 तदोपरान्त आवेदन सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर अग्रसारित कर दिया जायेगा।

6.2.12 सेवा सम्बन्धी विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड सेवाओं हेतु आमजनमानस का पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जायेगा।

6.2.13 तत्पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आवेदन का निस्तारण किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को इंटीग्रेट मोड में ए.पी.आई. द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक माह में अधिकतम 10 बार आवेदन करने की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में नवीन व्यवस्था में एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 10 बार ही आवेदन किया जा सकेगा।

8. विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक सेवाओं हेतु निर्धारित की गई समयावधि में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही नागरिकों को सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अतः इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 14-10-2022 17:09:28
Reason: Approved
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या-1313(1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, समस्त विभाग (उपरोक्त विभागों को छोड़कर) को इस आशय के साथ प्रेपित की भविष्य में विभाग की सेवाओं ऑनलाईन

करते हुये उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करायी जायें।

2. स्टॉफ ऑफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. निजी सचिव,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, गोमती नगर, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.ओ.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-19/2020/1085 /78-2-2020-34 आई.टी/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   डी.ई.जी.एस. सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषयः राज्य में जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई.टी. एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-497/78-2-2019-34आईटी/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना अन्तर्गत शासकीय सेवायें प्रदान किये जाने के लिये यूज़र चार्ज़ का निर्धारण तथा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं के चयन हेतु आर.एफ.पी. (RFP) प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में राज्य समन्वयक, सीईजी ने अपने पत्र संख्या–सीईजी /जी/148/196 /2020 दिनांक 15-10-2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) द्वारा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की आर.एफ.पी. का प्रकाशन कर निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। राज्य स्तर पर दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 को सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) द्वारा समस्त डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों के अनुसार प्रति जनपद 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन कर सभी 75 जनपदों में आवंटन पूर्ण कर लिया गया है। आर. एफ.पी. के अनुसार समस्त 75 जनपदों को 3 श्रेणियों में दर्शाते हुए प्रति जनपद चयनित 02 डी.एस.पी. संस्थाओं की सूची इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

3- प्रति जनपद नवीन 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन पूर्ण होने के उपरान्त सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु परियोजना से सम्बन्धित सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-7-2020 के अनुसार सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

(https://edistrict.up.gov.in/) पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक आवेदन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज लिया जायेगा जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगा:-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0) में				
		डी0एम0पी0/ बी0एल0ई0	सम्बन्धित विभाग	डी0ई0जी0एस0	सी0ई0 जी0	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1-	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

5- सी.एस.सी.-3.0 परियोजना दिनांक 16 नवम्बर, 2020 से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रभावी होगी।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स से आवश्यक समस्त कार्यवाही समयवद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का संचालन निर्धारित तिथि से किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्याः19/2020/1085तद्दिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15-10-2020 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं नवीन चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही समयवद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

संख्या-20/2020 /1101 /78-2-2020-34आईटी/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, डी.ई.जी.एस. सोसाइटी उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमतीनगर लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 03 दिसम्बर, 2020

विषय:- आम जनमानस को पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए विभिन्न सिटिजन सेन्ट्रिक सेवाए उपलब्ध कराने हेतु लिये जाने वाले यूजर चार्ज एवं इसके अंश विभाजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-सीईजी/जी/148/203/20 दिनांक 22-10-2020 एवं आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1278/78-2-2014-53आईटी/ 08 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या- 497/ 78-2-2019-34आईटी/2010 दिनांक 13-07-2020 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25-11-2014 के माध्यम से आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटिजन सेवाओं को इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें आम जनमानस द्वारा बिना जनसेवा केन्द्र आये सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर खतौनी सेवा के लिए रू015/- एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिए रू0 10/- यूजर चार्ज के रूप में निर्धारित किये गये थे।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-7-2020 के अनुसार सीएससी 3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in/) पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए कुल 30 रू0 यूजर चार्जेस के रूप में लिए जाने की व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निमनवत निर्धारित है:-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16-11-2020 से प्रभावी सीएससी 3.0 परियोजना में आम जनमासन से ई-ड्रिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन आवेदन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने पर लिये जाने वाले यूजर चार्ज में डी.एस.पी. / वी.एल.ई. का अंश शून्य रहेगा तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के अंश की धनराशि का विभाजन उपरोक्त तालिका के क्रम में निम्नवत होगा:-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1	समस्त जी2सी सेवायें	0	03	10	02	15

3- अर्थात आम जनमानस द्वारा पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए बिना जन सेवा केन्द्र जाये आवेदन की दशा में प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए रू0 15 /- यूजर चार्जेस के रूप में लिया जायेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी , एनआईसी, योजना भवन लखनऊ।
3- हेड, एसईएमटी, गोमती नगर लखनऊ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।